न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी क्रमांक 3552–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 02–09–2014 पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर – प्रकरण क्रमांक 229/2013–14 अपील

धूपसिंह पुत्र विक्रम सिंह यादव
निवासी ग्राम पिपरौदा आलम
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

1–अशोक पुत्र महेन्द्रकुमार शर्मा
निवासी ग्राम ईसागढ़ जिला अशोकनगर
2–श्रीमती बसंतीवाई पत्नि धूप सिंह यादव
निवासी ग्राम पिपरौदा आलम
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी
3– म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)
(अनावेदक–3 की ओर से पैनल लायर)
(अनावेदक –1 की ओर से अभिभाषक एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 8–12–2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 229/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–9–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकक–1 ने तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम अनघोरा चुखरू स्थित भूमि सर्वे कमांक 17 रकबा 13.627 हैक्टर के अंशभाग पर आवेदक ने फसल बोकर कब्जा कर लिया है कार्यवाही की जावे। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण क्रमांक 16 अ 68/13–14 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26–8–14 पारित

किया तथा ग्राम अनघोरा चुखरू स्थित भूमि सर्वे कमांक 17 रकबा 13.627 हैक्टर के 1.463 हैक्टर भू-भाग पर फसल बोकर अतिक्रमण करना पाये जाने से संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की एंव संहिता की धारा 52 का आवेदन देकर स्थगन की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ ने प्र. क. 229/13-14 अपील पंजीबद्ध किया तथा आदेश दि. 2-9-14 से प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई हेतु 10.9.14 की तिथि नियत की। आवेदक ने इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 16 अ 68/13-14 में पारित आदेश दिनांक 26-8-14 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 229/13-14 प्रस्तुत की थी तथा अपील मेमो के साथ स्थगन आवेदन लगाया था। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26-8-14 से आवदेक पर भारी अर्थदण्ड लगाते हुये सिविल जेल भेजने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया था इसलिये सर्वप्रथम स्थगन दिये जाने पर विचार न करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रृटि की है। अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने विरोध कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के अपील प्र. क. 229/13-14 के

अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आदेश व्दारा प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई में लगाया है जबकि आवेदक पर तहसीलदार ईसागढ़ ने आदेश दिनांक 26-8-14 से आवेदक पर रू. 1,26,779/- का अर्थदण्ड लगाते हुये बेदखली के आदेश दिये हैं एंव 07 दिवस में अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में दैनिक जुर्माना एंव सिविल जेल की दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अंकित किया है, तदुपरांत तहसीलदार ने दिनांक 18.9.14 को अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के लिये आवेदक को सिविल कारागार भेजे जाने के प्रस्ताव दिये, किन्तु इसी दरम्यान आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के विरूद्ध सिविल जेल भेजने कार्यवाही नहीं की एंव प्रकरण तहसीलदार ईसागढ़ को पुर्नप्रतिवेदन हेतु वापिस कर दिया। आवेदक वादग्रस्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा चुका एंव आवेदक की अर्पाल अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 से सुनवाई हेतु पंजीबद्ध कर ली है, अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी अस्तित्वहीन हो चुकी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ व्दारा प्रकरण क्रमांक 229/13-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 हस्तक्षेप योग्य न पाये जाने से निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर